झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस कैंपस योजना

संकल्प

विषय : बी0आई0टी0 मेसरा के साथ वर्ष 2017 में हुए एकरारनामा का वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक के लिए अवधि विस्तार करने एवं उक्त एकरारनामा के शर्तों के अधीन बी०आई०टी० मेसरा को Phase wise सहायता अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा बी०आई०टी० मेसरा के साथ दिनांक 07.11.2001 को एक एकरारनामा किया गया। इस एकरारनामा के अधीन बी०आई०टी० मेसरा द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय सहायता से UG Level में 180 सीट एवं PG Level में 50 सीट की चरण वार बढ़ोतरी करने एवं कुल सीट का 50% सीट राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित रखने और इन आरक्षित सीटों पर राज्य के प्रचलित आरक्षण नीति अनुसार नामांकन लेने पर सहमति बनी। तदनुसार राज्य के लिए 50% सीट आरक्षित रखने के एवज में बी०आई०टी० मेसरा के सभी प्रकार के नियमित कर्मियों को निम्न सहायता अनुदान दिया जाता रहा है-

i. 50% of the Dearness Allowance being paid from 15.11.2000 to the staff of different categories in employment at BIT, Mesra so that all employees of BIT Mesra are paid Dearness allowance and Additional Dearness Allowance at the same rate as are being paid to Government employees of the State of Jharkhand.

ii. 50% of the additional liability arising out of implementation of the revised pay scales along with the merged salary and DA as approved by the agencies like UGC, AICTE and State of Jharkhand, for all the employees of the Institute from time to time.

2. वर्ष 2001 से ही समय-समय पर बी०आई०टी० मेसरा के साथ एकरारनामा का अवधि विस्तार किया जाता रहा है एवं तदनुसार कुल सीट का 50% सीट राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित रखा जाता रहा है । दिनांक 26.04.2017 को हस्ताक्षरित गत एकरारनामा द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया, जिसमें बी०आई०टी० मेसरा में All India Council for Technical Education (AICTE) एवं राज्य सरकार के Norms के अनुसार पदनाम पर कार्यरत कर्मियों को Dearness Allowance (DA) का 50% तथा Implementation of Revised Pay Scale एवं Merger of DA के फलस्वरूप वित्तीय भार का 50% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की व्यवस्था रखी गयी। साथ ही दिनांक 26.04.2017 को हस्ताक्षरित गत एकरारनामा में निम्न प्रावधान भी रखा गया है-

Fees charged by BIT Mesra, from its students shall be fixed by the Fee Fixation Committee, which has been duly constituted by Government of Jharkhand and the funds given by State Government in any form (capital + revenue) shall also be accounted for calculation of fees and in the income of BIT Mesra.

3. वर्ष 2017-18 के उपरांत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा बी०आई०टी० मेसरा के साथ वर्ष 2017 में हुए एकरारनामा का वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक के लिए अवधि विस्तार करने एवं उक्त एकरारनामा के शर्तों के अधीन बी०आई०टी० मेसरा को Phase Wise सहायता अनुदान की राशि प्रदान करने के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया | योजना प्राधिकृत समिति के द्वारा कतिपय बिंदुओं पर पृच्छा की गयी थी | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा

पृच्छाओं का अनुपालन करते हुए पुन: योजना प्राधिकृत समिति के विचारार्थ प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु संचिका पुनः योजना एवं विकास विभाग को पृष्ठांकित की गयी |

4. योजना एवं विकास विभाग के द्वारा उल्लेख किया गया है कि "संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासी विभाग और बी०आई०टी० मेसरा के साथ वर्ष 2001, 2005, 2007, 2014 एवं 2017 में एकरारनामा किया गया, जिसके आधार पर बी०आई०टी० मेसरा को अनुदान की राशि विमुक्त की जाती रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-301, दिनांक-31.03.2015 की कंडिका 9.2 के अनुसार" वैसी सभी योजनाएँ/कार्यक्रम, जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा पूर्व के वर्ष/वर्षों में स्वीकृत किये गये हों तथा जिनके लिए विनिर्दिष्ट पद्धति से स्वीकृति उद्व्यय एवं आवंटन निर्गत किया जा रहा हो, को चालू प्रकृति की योजनाओं की श्रेणी में समझा जायेगा।
यदि ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अथवा कार्यान्वयन निर्देशिका में कोई आमूल-चूल परिवर्तन होता है, तो कंडिका 1.1 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति आवश्यक होगी। इस प्रकार प्रशासी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव (योजना) चालू श्रेणी में है और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया अथवा कार्यावन्यन निर्देशिका में कोई आमूल-चूल परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। उक्त के आलोक में संचिका प्रशासी विभाग को वापस की जा सकती है।"

5. अतः उक्त के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के द्वारा प्रस्ताव (योजना) चालू श्रेणी में होने और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया अथवा कार्यान्वयन निर्देशिका में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होने के कारण संचिका वापस कर दी गयी | तदालोक में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की गयी |

6. विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के क्रम में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दो बिंदुओं पर पृच्छा की गयी | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अनुमानित व्यय गणना से संबंधित पृच्छा के निराकरण हेतु विभागीय संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी, जिसमे बी०आई०टी० मेसरा के प्रतिनिधि भी शामिल थे | विभागीय समिति द्वारा जांचोपरांत संशोधित अनुमानित व्यय की राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है | साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के Fee Fixation से संबंधित पृच्छा के संबंध में उल्लेखनीय है कि बी०आई०टी० मेसरा के द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क का निर्धारण किया गया | शुल्क निर्धारण समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण वर्ष 2019-20 से शुल्क निर्धारण समिति की बैठक नहीं हो पाई है | बी०आई०टी० मेसरा के द्वारा प्रतिवर्ष (2019-20 से 2023-24 तक) सभी कोर्स का शुल्क अपने स्तर से निर्धारित किया जाता रहा है | उल्लेखनीय है कि शुल्क निर्धारण समिति का गठन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है | बी०आई०टी० मेसरा के द्वारा अपने पत्रांक-4238, दिनांक-06.12.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा संस्थान को जो भी राशि (capital + revenue) के रूप में प्राप्त हुई है, उसे संस्थान के लेखापुस्त के आय और व्यय खाते में दर्शाया गया है | इस संबंध में विगत पांच वर्षों का अंकेक्षित Income and Expenditure Account भी उपलब्ध कराया गया है |

7. ज्ञातव्य है कि बी०आई०टी० मेसरा के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से संस्थान में UG Course हेतु झारखण्ड राज्य के छात्रों को 50% आरक्षण का लाभ All India Quota में झारखण्ड के छात्रों के स्वत: नामांकन के अतिरिक्त (Over & above the students of Jharkhand getting admitted under

All India Quota) दिया जा रहा है | इस प्रकार शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से बी०आई०टी० मेसरा में झारखण्ड राज्य के 50% से अधिक छात्र नामांकित हो सकने का प्रावधान है |

8. बी०आई०टी० मेसरा द्वारा एकरारनामा के अवधि विस्तार की प्रत्याशा में लगातार 50% सीट राज्य के योग्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखते हुए उस पर राज्य आरक्षण नीति अनुसार नियमित नामांकन लिए जाने की बात रखते हुए अवधि विस्तार का अनुरोध किया जाता रहा है। अतः राज्य के अनुसूचित जन-जाति एवं गरीब मेधावी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्णय लिए जाते है-

(i) एकरारनामा की समाप्ति वर्ष 2017-18 के उपरांत एकरारनामा को अगले 07 वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। एकरारनामा प्रारूप (अनु0-01) के रूप में संलग्न है, जिसमें सभी शर्तों का विस्तृत उल्लेख है।

(ii) एकरारनामा के शर्तों के अधीन तथा एकरारनामा के अवधि विस्तार के फलस्वरूप अनुमानित सहायता अनुदान की भुगतेय राशि का एकमुश्त भुगतान नहीं करते हुए बी०आई०टी० मेसरा को बजट उपलब्धता के आधार पर 2024-25 तक में Phase Wise भुगतान किया जायेगा। बी०आई०टी० मेसरा के द्वारा वर्षवार अनुमानित व्यय राशि की गणना उपलब्ध करायी गयी | बी०आई०टी० मेसरा के द्वारा अपने पत्रांक-4238, दिनांक-06.12.2023 द्वारा व्यय राशि की गणना की विवरणी उपलब्ध करायी गयी | विभागीय आदेश ज्ञापांक-1161, दिनांक-14.12.2023 के आलोक में विभाग तथा बी०आई०टी० मेसरा के बीच MoU के आलोक में बी०आई०टी० मेसरा द्वारा अनुमानित व्यय राशि की समीक्षा की गयी तथा गणना की विवरणी में AICTE अथवा राज्य सरकार के अनुसार जिन पदाधिकारियों/कर्मियों का Designation and Nomenclature नहीं है, वैसे पदों से संबंधित राशि को घटाते हुए कुल अनुमानित देय राशि की गणना की गयी है | तदनुसार बी०आई०टी० मेसरा को वर्षवार देय राशि की गणना निम्नवत है, जिस पर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl. No.	Financial Year	Amount (Rs. In Lakhs)
01.	2018 - 19 (वास्तविक)	2006.25
02.	2019 - 20 (वास्तविक)	2173.90
03.	2020 - 21 (वास्तविक)	2215.26
04.	2021 - 22 (वास्तविक)	2542.52
05.	2022 - 23 (वास्तविक)	2835.90
06.	2023 - 24 (अनुमानित)	3081.97
07.	2024 - 25 (अनुमानित)	3309.94
	Total	**18165.74**

(iii) राशि का भुगतान राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-112/796-इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-AM-राज्य अंतर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के अंतर्गत उपबंधित राशि में से की जायेगी ।

9. एकरारनामा प्रारूप (अनुलग्नक-01) पर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त है |

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-23.02.2024 में मद संख्या-13 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अनु०-यथोक्त |

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :02 त०शि०/योजना-07/2021- / राँची, दिनांक :
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :02 त०शि०/योजना-07/2021- / राँची, दिनांक :
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रांची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :02 त०शि०/योजना-07/2021-211 / राँची, दिनांक :-29.02.2024
प्रतिलिपि-उप सचिव, मुख्य सचिव, झारखण्ड का कार्यालय/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रांची/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/कुलसचिव, बी०आई०टी० मेसरा, रांची/विभागीय बजट शाखा/अवर सचिव-सह-विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/श्री कुमार चंदन, MIS Officer को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.2.24
सरकार के प्रधान सचिव।

AGREEMENT MADE ON THE ....BETWEEN

Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi being deemed University (herein after called the First Party) of the FIRST PART

AND

Governor of Jharkhand through the Principal Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand, Ranchi (herein after called the Second party) of the OTHER PART

WHEREAS the first party, Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi being deemed University governed by the rules specifically approved by the Government of India and regulations approved by its Chancellor has been playing a leading role in providing opportunities to the youths of the state to pursue higher education in the field of technical education as Government of Jharkhand is giving grant towards 50% of the Dearness Allowance & Additional Dearness Allowance as well as 50% of the additional liability arising out of implementation of the revised pay scales along with the merged salary and DA as approved by the agencies like UGC, AICTE and State of Jharkhand to its employees.

AND WHEREAS the second party has been controlling technical education in the state and rendering support in the form of financial support and assistance to enable the first party to continue providing opportunities to the youths of the state to pursue higher education in the field of technical education.

AND WHEREAS the First and Second Party had entered into Memorandum of Understanding (MoU) on 07.01.2001 providing for increase of 180 seats in Under Graduate Level and 50 seats in Post Graduate Level.

AND WHEREAS the First party agreed to render 50% of those seats exclusively for the students acquiring eligibility qualification from the institutions located within the state of Jharkhand and also adopt the quantitative stipulation regarding reservation of seats, and for such purpose the Second party agreed to provide financial assistance to the extent of Rs. 2405.00 lakhs as per the MOU signed on 07.11.2001.

The Second party, i.e. the Government of Jharkhand agreed further (as per MOU signed on 07.11.2001) to give assistance to the first party in lieu of the 50% seats being provided to the students of Jharkhand, as given hereunder:

1. 50% of the Dearness Allowance being paid from 15.11.2000 to the staff of different categories in employment at BIT, Mesra so that all employees of BIT Mesra are paid Dearness allowance and Additional Dearness Allowance at the same rate as are being paid to Government employees of the State of Jharkhand.
2. 50% of the additional liability arising out of implementation of the revised pay scales along with the merged salary and DA as approved by the agencies like UGC, AICTE and State of Jharkhand, for all the employees of the Institute from time to time.

The Memorandum of Understanding dated 07.11.2001 also provides for a review on the basis of the progress made and through mutual consultation to the extent of its provisions made up to 31.03.2006.

The First Party normally provides seats for admission to its different programmes at the under graduate level on the basis of AIEEE/JEE (Main) ranking on all India basis. Taking into account the advantage that would be available to the Jharkhand students on 50% seats, State of Jharkhand agreed to provide support to the extent:

A. 50% of the Dearness Allowance and Additional Dearness Allowance (if applicable to the state of Jharkhand employees) being paid on and from 01.04.2000 to the staff of different categories in employment at BIT, Mesra on the AICTE and State Government norms shall continue, so that all concerned employees of BIT Mesra as per the designations and nomenclature of AICTE and State Government norms are paid DA and additional DA (if applicable) at the same rate as those being paid to Government Employees of the State of Jharkhand.

B. 50% of additional financial liability arising out of implementation of the revised pay scales along with the merged salary and DA as approved by agencies like UGC, AICTE and State Government, for all Employees of the Institute, from time to time.

The Second Party i.e. State of Jharkhand will continue to pay as per previous MoU from 01.04.2013 to 31.03.2018.

Detailed utilization certificate would have to be provided by the First Party.

The agreement was signed vide memo no – वि० प्रा० नि० –196/06-313/Ranchi, dated 15.02.2007 for five consecutive financial years starting from 2006-07 up to 31.03.2011 and further for two consecutive financial years starting from 2011-12 upto 31.03.2013 vide memo no. 1133, dated 29.03.2013 and from 01.04.2013 to 31.03.2018 vide memo no. 348, dated 26.04.2017.

In continuation of the previous MOUs, this agreement will be valid for seven consecutive financial years starting from 01.04.2018 to 31.03.2025 and the extension of agreement beyond that period could be made by the parties after reviewing the progress made and through mutual consideration of following conditions:

a) Fees charged by BIT Mesra, from its students shall be fixed by the Fee Fixation Committee, which has been duly constituted by Government of Jharkhand and the funds given by State Government in any form (capital + revenue) shall also be accounted for calculation of fees and in the income of BIT Mesra. Fee charged by BIT Mesra for the year 2018-19 was approved by the Fee Fixation Committee. Fee Fixation Committee has not been functional from 2019-20 to 2023-24. Hence, the fee of the students has been fixed for the years from 2019-20 to 2023-24 at the level of BIT Mesra. However, for 2024-25 and onwards, financial support shall be given by State Government, only after approval of the fee charged by BIT Mesra from Fee Fixation Committee.

b) The prevailing policy of admission to BIT Mesra for the Undergraduate Study in Engineering & Technology stipulates that admission will strictly be made as per JEE (Main) merit list and guidelines of the Central Seat Allocation Board (CSAB). This policy allows 50% students only from Jharkhand state and remaining 50% from rest of India. From 2020-21 session onwards, BIT Mesra has requested CSAB to admit UG level students from All India including Jharkhand state to fill-up 50% of the seats at first, and then the remaining 50% exclusively from state of Jharkhand – both based on JEE (Main) rank. Jharkhand Reservation Policy shall be implemented for 50% quota exclusively meant for students from State of Jharkhand. For the courses at PG level, similar admission process and reservation policy shall be implemented by B.I.T. Mesra with effect from 2020-21 session onwards.

c) The actual expenditure from 2018-19 to 2024-25 under this MoU will be paid by the State Government in a phase-wise manner on the basis of available budgetary provisions.

Any dispute regarding the implementation of any/or interpretation of the agreement shall be referred to the Governor, State of Jharkhand, who is also the Chancellor of BIT, Mesra for appropriate directions.

First Party	Second Party
(Vice Chancellor)	(Principal Secretary)
Birla Institute of Technology,	Department of Higher and Technical
Mesra, Ranchi	Education,

WITNESS:	WITNESS:
1)	1)
2)	2)